Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
CHETANA
Impact Factor SJIF=4.157

Received on 9th July 2019, Revised on 11th July 2019; Accepted 19th July 2019

आलेख

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता

* डॉ.चिन्मय जैन
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर
Chinmayjain003@gmail.com, Mob.No- 9887470554

मुख्य शब्द - *शिक्षक–प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण, द्विवर्षीय बी.एड. स्नातक उपाधि आदि।*

"एक शिक्षक का काम है छात्रों में जीवन शक्ति देखते हुए उन्हें शिक्षित करना"

–जोसफ कैंपबेल

शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है ? इसका उत्तर सरल और सीधा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ आधारभूत तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। सर्वप्रथम इस बात का ज्ञान जरुरी है कि देश की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक अवस्था किस प्रकार की है ? इसी से संबंधित यह जानकारी करनी पड़ेगी कि देश की सामाजिक, आर्थिक और आधुनिकीकरण की दिशा में वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है और यह देश के उत्थान के लिए किस सीमा तक अनुकूल है ? इसी से संबंधित तीसरा तथ्य यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली और भावी शिक्षा–योजना के अनुकूल ही, शिक्षक–प्रशिक्षण के उद्देश्यों का चयन करना पड़ेगा।

पिछले पचास वर्षों में शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नए आयाम, नवीन धाराओं और नए विषयों का समावेश हुआ है। कुछ नूतन प्रयोग किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य यह है कि नई शिक्षा प्रणाली के लिए उपयुक्त शिक्षक प्रशिक्षित किए जाएँ। देश की वर्तमान आधुनिकीकरण की अवस्था में तथा शिक्षक–प्रशिक्षण के नवीन लक्ष्यों और उद्देश्यों की दृष्टि से प्रायोगिक पाठ्यक्रम शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं, के लिए किस प्रकार वांछनीय है। देश में माध्यमिक शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. के पाठ्यक्रम का प्रावधान है।

"गुरु धोबी सिक्ख साबू सिरजन हार

सुरति सिला पर धोइये निकसे ज्योति अपार"

–कबीरदास जी

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सारे देश में साधारणतः द्विवर्षीय बी.एड. स्नातक उपाधि का प्रावधान है । भारत सरकार द्वारा गठित कॉप समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारतवर्ष की विभिन्न संस्थाओं के बी.एड. पाठ्यक्रमों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि इन पाठ्यक्रमों में लगभग एक ही प्रकार के विषयों का समावेश है । इन पाठ्यक्रमों में न लचीलापन है और न विविधता। इनमें अभी भी अनेक अनावश्यक विषयों का अध्यापन होता है और परिवर्तन की गति भी बहुत धीमी है। इस प्रतिवेदन से स्पष्ट किया है कि सभी बी. एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सामान्यतः निम्नलिखित सैद्धान्तिक विषयों का अध्यापन होता है–

1. शिक्षा मनोविज्ञान एवं मूल्यांकन,
2. शालाओं के विभिन्न विषयों की अध्यापन विधियाँ,

3. शिक्षा के सिद्धान्त –शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक आधार
4. शिक्षा का इतिहास
5. शाला–प्रशासन और स्वास्थ्य शिक्षा और
6. वैकल्पिक विषय–विशेष योग्यता के लिए शाला–विषय का अध्ययन।

इन सैद्धान्तिक विषयों के अतिरिक्ति विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में 24 दिन व द्वितीय वर्ष में 96 दिन इन्टर्नशिप करनी पड़ती है। बी. एड़. स्तर के पाठ्यक्रम के सुधार हेतु भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय ने एक पाठ्यक्रम संशोधन समिति का गठन सन् 1956 में किया। उस समिति के अध्यक्ष डॉ. ए.ए. पीरेज थे। उस समिति ने यह सुझाव दिया कि सैद्धान्तिक विषयों के निम्नलिखित चार प्रश्न–पत्र होने चाहिए–

1. शिक्षा और शाला प्रबन्ध के सिद्धान्त
2. शिक्षा मनोविज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा
3. दो शाला विषयों की अध्यापन विधियाँ और
4. शिक्षा की सामयिक समस्याएँ। इस प्रश्न पत्र के दो भाग होगें–

   अ. भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएँ और

   ब. निम्नलिखित में से एक विषय का अध्ययन– शाला पुस्तकालय संगठन, शाला प्रशासन, पिछड़े विद्यार्थियों की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा, श्रव्य–दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षा का मूल्यांकन, शारीरिक शिक्षा, पाठ्येत्तर क्रियाओं का संगठन, समाज शिक्षा आदि।

उपर्युक्त समिति ने बी.एड़. पाठ्यक्रम के लिए कुछ मौलिक सुझाव दिए थे। उसने सर्वप्रथम भारतीय एवं शिक्षा के स्थान पर भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याओं के अध्ययन पर आग्रह किया था। इसने विशेष अध्ययन की दृष्टि से कुछ नए क्षेत्रों का सुझाव दिया। उदाहरणार्थ, श्रव्य–दृश्य, वाचनालय, मूल्यांकन आदि। एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह था कि अध्यापक को अपने अध्ययन–पाठ के लिए एक विषय वह चुनना पड़ेगा जिसका उसने स्नातक स्तर पर अध्ययन किया है। यह सुझाव इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि उस समय एक छात्राअध्यापक अपने अभयास–पाठ के लिए कोई भी विषय चुन सकता था, चाहे उसने उस विषय का केवल हाई स्कूल स्तर तक ही अध्ययन किया हो। उस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अध्यापन की विधाओं को विषय–वस्तु से समन्वित किया जाए तथा शिक्षकों की अपनी शाला में पढ़ाने की विषय–वस्तु और अध्यापन की कला में पूर्ण निपुणता होनी चाहिए। उस समिति के सुझावों के आधार पर अनेक विश्वविद्यालयों ने बी.एड. पाठ्यक्रम में संशोधन किए।

शिक्षा आयोग और अखिल भारतीय शिक्षक–प्रशिक्षण संघ द्वारा गठित कार्यदल ने पुनः बी.एड़. सुधार के लिए सुझाव दिए। इसने निम्नलिखित पाँच सैद्धान्तिक प्रश्न–पत्र प्रस्तावित किए हैं–

1. शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार एवं मूल्यांकन,
2. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजिक आधार,
3. भारत में शिक्षा,
4. शाला के विषयों का अध्यापन,
5. विषय–वस्तु और शिक्षण–विधियों का समन्वय, दो विषयों का चयन।

उपर्युक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रम की दो विशेषताएँ हैं–

1. शिक्षा में अब दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं है, बल्कि अब शिक्षा का अध्ययन दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है।
2. अब विषय–वस्तु और शिक्षण विधियों को समन्वित रुप से पढ़ाए जाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षण–विधियों को पृथक रुप से पढ़ाने का कोई महत्त्व नहीं है

राजकीय कंस्ट्रक्टिव महाविद्यालय लखनऊ ने दो वर्षीय एल.टी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया था लेकिन विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर कमी रहने के कारण इसको समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र में जी. के. इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल एज्यूकेशन, गारगोली ने तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इन रुलर एज्यूकेशन प्रारम्भ किया है। चार वर्षीय शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रारम्भ किया है। इसमें प्रथम श्रेणी या उच्च अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था लेकिन इसमें वैधनिकता का संकट यह था कि इसमें हाई सकूल के पश्चात् चार वर्ष में बी.ए.ध्बी.एस.सी., बी.एड़. की डिग्री प्राप्त हो जाती थी, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल उर्त्तीण विद्यार्थियों को पाँच वर्ष लगते है। इस संकट के कारण इस पाठ्यक्रम को समाप्त करना पडा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चलाए गए चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों, जो अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर में स्थित हैं, ने हायर सैकण्डरी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम के तीन प्रमुख अंग है–

1. सामान्य शिक्षा
2. व्यावसायिक शिक्षा
3. विषय वस्तु की शिक्षा

इस पाठ्यक्रम में तीनों प्रकार के विषयों का समन्वित रुप से ज्ञान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम का एक लाभ यह भी स्वीकार किया गया है कि चार वर्ष की अवधि में एक कुशल और योग्य, शिक्षक तैयार किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि विषयों के शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रावधान है। इन विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण में सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सैद्धान्तिक पक्ष समान है, लेकिन विषय–वस्तु और उसके अध्यापन की कला में प्रशिक्षण में भिन्नता है,।

चार वर्षीय विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रम पाठ्यक्र में अब अनेक नए विषयों का समावेश दिखलाई पड़ता है। अनेक विश्वविद्यालयों ने जनसंख्या– अध्ययन, मूल्यांकन की नवीन पद्धतियों, ग्रामीण शिक्षा, शिक्षा का अर्थशस्त्र आदि विषयों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। लगभग ग्यारह विश्वविद्यालयों ने शिक्षा को बी.ए. की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के रुप में स्थान दिया है।

शिक्षक–प्रशिक्षण प्रायोगिक पाठ्यक्रम में निम्न विषय है–

1. दो विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण
2. विद्यालय में अध्यापन अभ्यास
3. नमूने (मॉडल) पाठों का अवलोकन
4. प्रायोगिक कार्य

5. विद्यालय अनुभव के लिए सम्बद्ध कार्य (इन्टर्नशिप)
6. समुदाय आधारित कार्यक्रमों सहित क्षेत्रीय कार्य
7. सृजनात्मक तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
8. कार्य शिक्षा
9. सत्रगत ६ प्रायोगिक कार्य
10. शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा अन्य विद्यालयी गतिविधियाँ
11. सौन्दर्यात्मक विकास संबंधी कार्यक्रम तथा गतिविधियाँ
12. क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी अध्ययन

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उपरोक्त सभी प्रायोगिक पाठ्यक्रम के विषय निर्धारित किये गये हैं। ये विषय एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। एक सफल शिक्षक के लिए सर्वप्रथम उसे अपने विषय का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है अतः प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को स्वंय के विषयों का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण कराया जाता है जो की पूर्ण रुप से प्रासांगिक है।

इसके अलावा जो भी अभ्यास कार्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में करवाये जाते हैं जैसे विद्यालय में अध्यापन अभ्यास कराना, इसमें सूक्ष्म शिक्षण, दैनिक पाठ योजना, ईकाई योजना, आदि अभ्यास कार्य कराये जाते हैं। अभ्यास कार्य करने से प्रशिक्षणार्थी शिक्षक में अपने विषय का ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है जैसा कि कहा गया है–

"करत–करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान"

रसरी आवत–जात है, सिल पर पड़त निशान"

प्रायोगिक पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण में रखा गया है वो शिक्षकों के लिए आवश्यक और प्रासांगिक है जिससे शिक्षक बनाने के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति होती है। एक शिक्षक के लिए ये सभी प्रायोगिक कार्यों को करना व सीखना अतिआवश्यक है तभी वह इस समाज व देश को एक सफल नागरिक दे सकता है।

बी. एड. पाठ्यक्रम को यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि सन् 1950 के पश्चात इसमें विविधता आई है और कुछ नये आयाम दृष्टिगोचर हुए हैं। लेकिन शिक्षण के उद्देश्यों को सामने रखते हुए यदि विवेचना की जाए तो इस क्षेत्र में अधिक परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता है। अब शिक्षक–प्रशिक्षण के कार्यक्रम में वास्तविकता का अध्ययन करके तदनुसार योजना बनानी चाहिए। इस समय देश में लगभग एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पाया जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्यक्रम में विविधता हो। वर्तमान में दो प्रकार की शालाऐं हैं– प्रथम शहरी और दूसरी ग्रामीण। बड़े–बड़े नगरों की शालाओं की आवश्यकताएँ ग्रामीण शालाओं से भिन्न है। शहर के स्कूल साज–सज्जा, पढ़ाने के उपकरण, शिक्षकों की योग्यता, विद्यार्थियों के अनुशासन आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ग्रामीण शालाओं की स्थिति इस दृष्टि से अलग प्रकार की होती है। इस कारण शिक्षकों की तैयारी शालाओं को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इस प्रकार की विविधता के लिए स्थान होना चाहिए। हमारे देश में अनेक अर्द्धविकसित एवं पिछडे हुए प्रदेश हैं। इन प्रदेशों की शालाओं की समस्याएँ ही भिन्न है। इन शालाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक दशा भिन्न होती है। फलतः इन शालाओं के लिए विशेष वर्ग के शिक्षक होने चाहिए और शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों को इस चुनौती को स्वीकार करके शोध और अन्वेषण के आधार पर नए पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए। इस पाठ्यक्रम में ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण शाला संगठन, समुदाय, अनुशासन आदि समस्याओं पर विशेष आग्रह किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों को बनाते समय कुछ मूलभूत

सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए। इनका एक विशिष्ट उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे सुयोग्य कक्षाध्यापक तैयार करें। ये शिक्षक अपने विषयों में निष्णात होने चाहिए। उनको अध्यापन की नवीनतम विधियों से परिचित एवं उनको प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ऐसे शिक्षक उत्पन्न हो, जो अपने व्यवसाय में रुचि रखते हो, बालकों के विकास में सहायक हो सके तथा शाला और समुदाय के सम्बन्धों को प्रगाढ़ बना सके। माध्यमिक स्तर के शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक दुर्बल–पक्ष व्यावहारिक कार्य एवं शालाओं में अभ्यास–पाठ अथवा अध्यापन का है।

इस संबंध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि अभ्यास पाठ्यक्रम को अधिक सघन बनाया जाना चाहिए। इसके लिए स्थानवद्ध कार्यक्रम एवं सहयोगी शाला योजना का प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यापन–अभ्यास को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए, शिक्षक–प्रशिक्षकों का नवीन विधियों से परिचय होना चाहिए, प्रशिक्षार्थियों के लिए निर्देशन पाठों का समुचित आयोजन करना चाहिए। श्रव्य–दृश्य सामग्री के उचित उपयोग पर अध्यापन–अभ्यास काल में अधिक आग्रह किया जाना चाहिए। इसके लिए सैद्धान्तिक रुप से यह मान लेना चाहिए कि प्रशिक्षार्थियों के लिए स्कूल एक प्रयोगशाला के रुप में है। स्कूल में वे अध्यापन के साथ उसकी शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करें, शोध–ग्रन्थ लिखें और अनुभवी प्राध्यापकों और शिक्षकों के अनुभवों का लाभ उठाएँ। इसके लिए छात्रप्राध्यापकों को अधिक समय शाला में व्यतीत करना चाहिए और महाविद्यालय के प्राध्यापकों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से बी.एड. के कार्यक्रम को पूरे एक वर्ष का कर देना चाहिए। शिक्षक–प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए महाविद्यालयों के साथ निर्देशन और प्रयोगात्मक स्कूल होना चाहिए और उसका प्रयोग निर्देशन या विशेष अध्ययन के लिए किया जाना चाहिए। इन सब बातों का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाए। "शिक्षा के संबंध में एक महान सत्य हमने सीखा था, हमने यह जाना था कि मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकता है। जिस तरह जल से ही जलाशय भरता है, दीप से ही दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु के सम्पर्क सान्निध्य में उसके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य मनुष्य बनता है।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. शैक्षिक योजना और प्रशासन (1998) –"दूरवर्ती शिक्षा विशेषांक" नीपा, नई दिल्ली।
2. सिंह, रामपाल (1983) – "शिक्षा में नवचिंतन" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. भूषण एवं वार्ष्णेय– "शैक्षिक प्रौद्योगिकी" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, संस्करण–2007
4. भट्टाचार्य, डॉ. जी.सी. (2007) – "अध्यापक शिक्षा" अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।

*** Corresponding Author:**
डॉ.चिन्मय जैन, *असिस्टेन्ट प्रोफेसर*
सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर
Chinmayjain003@gmail.com, Mob.No- 9887470554